UPJS010022662026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

उपस्थित- कमलेश कच्छल (उच्चतर न्यायिक सेवा) J. O. Code No. - UP1881

द्वितीय अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) आवेदन संख्या- 801/ 2026

(CNR N0- UPJS01- 002266- 2026)

सत्यम दांगी उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र महीपाल उर्फ नत्थू, निवासी- ग्राम जरयाई, थाना- चिरगांव, जिला- झाँसी।

---------- आवेदक/ अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य **---------- अभियोजक**

अ०सं०- 294/ 2021
धारा- 306 भारतीय दण्ड संहिता,
थाना- चिरगांव, जिला- झाँसी।
(संबंधित दाण्डिक वाद सं०- 7854/ 2026)
राज्य प्रति सत्यम दांगी

दिनांक- 17. 06. 2026

1- प्रश्नगत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आवेदक/ अभियुक्त **सत्यम दांगी** पुत्र महीपाल उर्फ नत्थू की ओर से उपरोक्त प्रकरण में विवेचना उपरान्त आरोप पत्र प्रेषित होने के अनुक्रम में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रामकुमार ने दिनांक- 13. 12. 2021 को थाना- चिरगांव, झाँसी में इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत की कि- *प्रार्थी ग्राम जरयाई, थाना- चिरगांव, झाँसी का स्थाई निवासी है। प्रार्थी का पुत्र गौरव घर पर था। दिनांक- 02. 12. 2021 को समय करीब 2 बजे देवेन्द्र दांगी पुत्र स्व० ज्ञान सिंह, सत्यम सिंह पुत्र महिपाल सिंह उर्फ नत्थू व रितिक दांगी पुत्र देवेन्द्र उसके घर आये और उसके पुत्र गौरव से बोले पार्टी है, खाना खाने चलो। उसी समय प्रार्थी का पुत्र उन लोगों के साथ चला गया। तीनों लोगों ने प्रार्थी के पुत्र गौरव को विषाक्त पदार्थ खिला कर अर्थात शराब में मिला कर पिला दिया। उसके बाद उक्त लोगों से झगड़ा हुआ और उन्होंने प्रार्थी के पुत्र के साथ मारपीट कर बेरहमी से पीटा। गौरव ने अपने भाई के फोन पर कहा कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उल्टिया हो रही है। तभी प्रार्थी अपने भाई- भतीजे के साथ पहाड़ी रोड स्थित सामन्त सिंह के खेत पर पहुंचा, तो वहाँ वह चिल्ला रहा था कि मुझे बचा लो, बचा लो। प्रार्थी, शिवराम, संजीव कुमार व अरविन्द के साथ मिलकर उसे खेत से ला कर इलाज के लिए तुरन्त मेडिकल कालेज झाँसी ले गया, किन्तु इलाज के दौरान कल रात में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजन व गांव के लोगों के साथ आ कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है, उचित न्याय कर दोषियों पर कठोर कार्यवाही करें।* उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक- 13. 12. 2021 को थाना- चिरगांव, जिला- झाँसी में प्रश्नगत मामला धारा- 302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आवेदक/ अभियुक्त सहित दो अन्य के विरूद्ध पंजीकृत हुआ एवं विवेचना उपरान्त आवेदक/ अभियुक्त सत्यम दांगी के विरूद्ध पूरक आरोप पत्र धारा- 306 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष प्रेषित होकर प्रकरण विचाराधीन है।

3- आवेदक/ अभियुक्त की ओर से द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र यह आधार लिया गया है कि- अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है, वह पूर्णतः निर्दोष है, उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन कथानक असत्य व अविश्वसनीय है। मामले में कोई स्वतन्त्र साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है। पुलिस ने कारगुजारी दिखाते हुए प्रश्नगत मामला झूठा पंजीकृत किया है। कथित घटना से अभियुक्त का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। मात्र अभियुक्त की प्रतिष्ठा धूमिल करने के आशय से झूठे मामले में उसे फंसाया गया है। अभियुक्त ने कोई घटना कारित नहीं की है, उसे गांव की चुनावी रंजिश के कारा झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने वर्ष 2017 में प्रश्नगत मामले के गवाह अरविन्द के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया था तथा वादी मुकदमा से भी

Digitally signed by Kamlesh Kuchhal
Date: 2026.06.17 12:53:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सिविल वाद चला है। अभियुक्त ने मृतक को कोई शराब नहीं पिलाई और न ही चिकित्सक ने विष के संबंध में कोई कथन किया है। वादी मुकदमा ने कथित घटना नहीं देखी है और न ही कथित गवाह राजकुमार व अरविन्द ने ही कोई घटना घटित होते देखी है। मृतक को कोई चोट आना नहीं पाया गया है। अभियुक्त अंकित पते का स्थाई निवासी है, उसके फरार होने की कोई सम्भावना नहीं है। अभियुक्त न्यायालय की शर्तो का पालन करने को तैयार है, वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उक्त आधार पर दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर प्रदान किये जाने की याचना की गई।

4- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा तलबशुदा पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी आदि का अवलोकन किया।

5- पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/ अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन सं०- 692/ 2022 सत्यम सिंह बनाम उ०प्र०राज्य संबंधित सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित- 05. 05. 2022 से निरस्त की जा चुकी है।

6- मामले में विवेचनाधिकारी द्वारा दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर आवेदक/ अभियुक्त सत्यम दांगी के विरूद्ध विवेचना प्रचलित रखते हुए अन्य अभियुक्त देवेन्द्र दांगी के विरूद्ध आरोप पत्र धारा- 306 भा०द०सं० के अन्तर्गत दिनांक- 22. 04. 2022 को न्यायालय के समक्ष प्रेषित हुआ तथा पश्चातवर्ती क्रम में संकलित साक्ष्य के आधार पर दिनांक- 11. 03. 2026 को आवेदक/ अभियुक्त सत्यम दांगी के विरूद्ध पूरक आरोप पत्र धारा- 306 भा०द०सं० के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया है, जिस पर संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान ले कर आवेदक/ अभियुक्त को जरिये सम्मन आहूत किया गया है।

7- यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मामले में संकलित साक्ष्य के आधार पर सहअभियुक्त देवेन्द्र दांगी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित होकर पत्रावली सत्र सुपुर्द हो कर सत्रवाद सं०- 336/ 2022 राज्य प्रति देवेन्द्र दांगी के रूप में संबंधित सत्र न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें आरोप विरचन उपरान्त अभियोजन की ओर से कुल- 5 अभियोजन साक्षी परीक्षित कराये जा चुके हैं, जिसमें तथ्य के साक्षीगण वादी मुकदमा पी०डब्लू०- 1 रामकुमार व स्वतन्त्र साक्षी पी०डब्लू०- 2 अरविन्द कुमार ने अपने बयानों में प्रश्नगत मामले में विचारित अभियुक्त देवेन्द्र दांगी के साथ- साथ आवेदक/ अभियुक्त सत्यम दांगी की संलिप्तता एवं उनके द्वारा घटना कारित करने का स्पष्ट कथन किया है।

8- आवेदक/ अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। मामले में वह नामित अभियुक्त है तथा विवेचना उपरान्त आरोप पत्र आवेदक/ अभियुक्त के विरूद्ध प्रेषित किया जा चुका है। थाने से प्राप्त आख्यानुसार अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने पर उसके फरार होने की सम्भावना व्यक्त की गई है।

9- अतः उक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/ अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित आधार नहीं है। तदनुसार द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **सत्यम दांगी** पुत्र महीपाल उर्फ नत्थू की ओर से मु०अ०सं०- 294/ 2021 धारा- 306 भारतीय दण्ड संहिता, थाना- चिरगांव, जिला- झाँसी (संबंधित दाण्डिक वाद सं०- 7854/ 2026 राज्य प्रति सत्यम दांगी) में प्रस्तुत **द्वितीय** अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र (Anticipatory Bail) सं०- 801/ 2026 **निरस्त** किया जाता है।

दिनाँक- 17. 06. 2026

(कमलेश कच्छल)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष योजित दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन सं०- 4444/ 2022 सत्यम सिंह बनाम उ०प्र०राज्य में पारित आदेश दिनांकित- 24. 03. 2023 से उसे मामले में धारा- 173(2) द० प्र०सं० के अन्तर्गत पुलिस रिपोर्ट प्रेषित किये जाने तक अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी। प्रश्नगत मामले में विवेचना उपरान्त दिनांक- 11. 03. 2026 आवेदक/ अभियुक्त के विरूद्ध धारा- 306 भा०द०सं० के अन्तर्गत पूरक आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

7- पत्रावली पर उपलब्ध पंचायतनामा में पंचो की राय में मृतक की मृत्यु जहर से होना बताया गया है तथा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसकी मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण बिसरा(स्टमक, छोटी आंत, लीवर का टुकडा पित्ताशय सहित, दोनों किडनी व स्प्लीन का टुकडा) रासायनिक परीक्षण हेतु संरक्षित किया गया है तथा पत्रावली पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ०प्र० राजगढ, झाँसी की बिसरा परीक्षण आख्यानुसार बिसरा के भागो (स्टमक, छोटी आंत, लीवर का टुकडा पित्ताशय सहित, दोनों किडनी व स्प्लीन का टुकडा) में आर्गेनोक्लोरो इन्सेक्ट्रीसाइड विष पाया गया है। इस प्रकार मृतक की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई है।